सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत तोषिणा

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**
राजस्व वाद संख्याः **15 /2010** दायर दिनांक **26.03.2010**

वादी		प्रतिवादीगण
1. किशोरसिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी गॉवडी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. समदरसिंह दत्तक पुत्र प्रेमसिंहं 2. हरिसिंह पुत्र लादूसिंह 3. अवतारसिंह पुत्र रामसिंह 4. सुप्यारकंवर पत्नि भंवरसिंह 5. नारायणसिंह पुत्र कालूसिंह 6. दिलीपसिंह पुत्र कालूसिंह 7. श्रवणसिंह पुत्र कालूसिंह 8. भंवरकॅवर पत्नि कालूसिंह फौत 9. भंवरकॅवर पत्नि सोहनसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी गॉवडी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 10. मूलीदेवी पत्नि बालाराम 11. प्रेमलता पुत्री बालाराम 12. प्रदीप पुत्र बालाराम (ना. बा.)जरिये संरक्षिका मुलीदेवी समस्त जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 13. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा व
बन्टवाडा खेत हस्ब धारा 88, 188 53,राज काश्त अधि

उपस्थित–
1. वादी स्वयं उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण सं0 2 ,स्वयं उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **09.06.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण
संख्या 01 ता 09 ग्राम गांवडी के निवासी है।
वर्तमान खेत ख.न. 91/224 रकबा 42 ब़ीघा 07 बिस्वा, खेत
ख.न. 101 रकबा 07 बिस्वा, खेत ख.न. 310/140 रकबा 18 बिस्वा, खेत
ख.न. 147 रकबा 11 ब़ीघा 18 बिस्वा, खेत ख.न. 61/196 रकबा 01 ब़ीघा
12 बिस्वा, खेत ख.न. 270/61 रकबा 07 ब़ीघा 04 बिस्वा, वाकै शरहद
गॉवडी है।इन खसरान् के अलावा खेत खसरा नम्बर 630 रकबा 31 बीघा
वाकै शरहद तोषिणा है।खतौनी की नकल दावा के साथ में प्रस्तुत है।एवम्
ख. न. 159 रकबा 35 बीघा 14 बिस्वा गावडी के काकड में अवस्थित है।
उपरोक्त खसरा नम्बरान मे से खेत ख.न. 91/224 रकबा 42
ब़ीघा 07 बिस्वा, वाकै शरहद गॉवडी के 1/2 भाग की खातेदारी प्रतिवादी
समदरसिंह पुत्र प्रेमसिंह के व 1/2 भाग की खातेदारी किशोरसिंह पुत्र
सज्जनसिंह हरीसिंह पुत्र लादूसिंह के नाम से संयुक्त दर्ज है।खेत ख.न.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

101 रकबा 07 बिस्वा, खेत ख.न. 310/140 रकबा 18 बिस्वा, कुल 01 बीघा 05 बिस्वा वाकै शरहद गॉवडी के 1/4 भाग की खातेदारी प्रतिवादी समदरसिंह पुत्र प्रेंमसिंह 1/8 भाग की खातेदारी वादी किशोरसिंह पुत्र सज्जनसिंह, 1/8 भाग की खातेदारी अवतारसिंह पुत्र रामसिंह 1/8 भाग की खातेदारी सुप्यारकॅवर पत्नि भंवरसिंह 1/4 भाग की खातेदारी नारायणसिंह, दिलिपसिंह, श्रवणसिंह पि0 कालूसिंह भॅवरकॅवर पत्नि कालूसिंह के नाम से अंकित है। , खेत ख.न. 147 रकबा 11 ब़ीघा 18 बिस्वा, के 1/4 भाग की खातेदारी प्रतिवादी समदरसिंह पुत्र प्रेंमसिंह 10/238 भाग (जो कि हरीसिंह के भाग मे से जरिये बैचाण 11.08.2008 के किशोरसिंह ने कय किया)की खातेदारी वादी किशोरसिंह पुत्र सज्जनसिंह, के नाम के नाम 1/8 भाग किशोरसिंह पुत्र सज्जनसिंह 70/952 भाग अवतारसिंह पुत्र रामसिंह (1/4)व 1/2 भाग की खातेदारी मूलीदेवी पत्नि बालाराम, प्रेमलता पुत्री बालाराम प्रदीप पुत्र बालाराम के नाम से अंकित है।ख. न. 61/196 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, व ख. न 270/61 रकबा 07बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा की खातेदारी समन्दरसिंह पुत्र प्रेमसिंह, सज्जनसिह हरीसिंह पिता लादूसिंह के नाम संयुक्त अकित है।

खेत खसरा नम्बर 630 रकबा 31 बीघा वाकै तोषिणा के 1/2 भाग की खातेदारी सज्जनसिंह के नाम व 1/2 भाग की खातेदारी हरीसिंह के नाम अकित थी।हरीसिंह ने इस खसरा की अपने 1/2 भाग की भूमि में से 05 बीघा भूमि वादी किशोरसिंह को जरिये बैचाणनामा दिनाकं 28.09.2001 के विकय कर दी,तब इस खसरे में से सज्जनसिंह के नाम 15 बीघा 05 बिस्वा, हरीसिंह के नाम 10 बीघा 05 बिस्वा व वादी किशोरसिंह के नाम 05 बीघा की खातेदारी अकित हुई।इसके पश्चात इन खातेदारान के द्वारा बैचाण करने पर जरिये नामान्तरकरण 1273 के इस खसरा की खातेदारी सज्जनसिंह पुत्र लादूसैह 1/2किशोरसिंह पुत्र सज्जनसिंह 05/31भाग हरीसिंह पुत्र लादूसिंह 07/62 भाग भॅवरकॅवर पत्निसोहनसिंह 1/31अकित हुई इसके बाद खातेदारान सज्जनसिंह का स्वर्गवास होने पर सज्जनसिंह के स्थान पर जरिये हक तर्क व विरासत के नामान्तरण संख्या 1274 के किशोरसिंह के नाम 41/62 भाग की खातेदारी अकित हुई

उपरोक्त वाद के पद संख्या 02 मे वर्णित पैत्रिक कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि खेत ख.न. 91/224 रकबा 42 ब़ीघा 07 बिस्वा, वाकै शरहद गॉवडी के 1/2 भाग 21 बीघा 03 बिस्वा समन्दरसिंह की व 1/2 भाग की उतर की 1/2 भाग 21 बीघा 04 बिस्वा वादी किशोरसिंह पुत्र सज्जनसिंह के कब्जे काश्त व बन्ट में आई हुई है।जिसमे वादी का कुआ बना हुआ है।इस खसरा मे हरीसिंह के कोई बन्ट या कोई कब्जा काश्त नही है।इसी प्रकार खसरा खेत ख.न. 61/196 रकबा 01 ब़ीघा 12 बिस्वा, खेत ख.न. 270/61 रकबा 07 ब़ीघा 04 बिस्वा, कुल रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा सम्पुर्ण वादी के पिता स्व. सज्जनसिंह की खातेदारी व कब्जे काश्त की थी, जो वर्तमान में वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी में है।इसमें अकित खातेदारो का कोई हक अधिकार नही हैं। इसके अलावा खेत खसरा नम्बर 630 रकबा 31 बीघा वाकै तोषिणा मे से 05 बीघा भूमि वादी की जरिये रजिस्ट्रर्ड बैचाण के हरीसिंह से कयसुदा कब्जा काश्त व खातेदारी की है।इसके अलावा इस खसरा मे वादी का कोई हक नही है। भॅवरकॅवर पत्निसोहनसिंह 1/31 भाग व शेष सम्पुर्ण भाग हरीसिंह का कब्जे काश्त व खातेदारी का है।एव ख. न. 159 रकबा 35 बीघा 14 बिस्वा मे 1/32वॉ हिस्सा विधमान है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

इस प्रकार वर्तमान खातेदारी अंकन दुरूस्त नही होने से वादी व प्रतिवादीगण के जायज अधिकारो पर क्लाउडस छा गये है।अतः वादी को उपरोक्त अनुसार खातेदारी घोषित कराने हेतु यह दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकार्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

वादी व प्रतिवादीगण आपसी सहमति से हुए मौखिक बन्टवारा के मुताबिक मौके पर अपने-अपने हक की भूमि पर कदीम से अलग-अलग काबिज हे।मगर पक्षकारान के बीच बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस के हक मुताबिक नही होने से वादी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात आपस में तनाजा रहने लगा है।अतः वादी को यह दावा बन्टवारा का करना लाजमी आया है।इसलिए वादी को स्थाई निषेधाज्ञा का दावा करना जरूरी हुआ। दावा स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु दावा पेश है।

प्रार्थना वादी है कि

वाद के पद संख्या 02 मे वर्णित पैत्रिक कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि खेत ख.न. 91/224 रकबा 42 ब़ीघा 07 बिस्वा, वाकै शरहद गॉवडी के उत्तर के 1/2 भाग की खातेदारी वादी के नाम व दक्षिण की 1/2 भाग की खातेदारी 21 बीघा 03 बिस्वा समन्दरसिंह के नाम घोषित कर खातेदारी से हरीसिंह का नाम हटाया जावें। इसी प्रकार खसरा खेत ख.न. 61/196 रकबा 01 ब़ीघा 12 बिस्वा, खेत ख.न. 270/61 रकबा 07 ब़ीघा 04 बिस्वा, कुल रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा वाकै गांवडी की खातेदारी अकेले वादी किशोरसिंह के नाम घोषित कर खातेदारी से प्रतिवादी समन्दरसिंह हरीसिह का नाम हटाया जावे।खेत ख. न. 147 रकबा 11 ब़ीघा 18 बिस्वा,की खातेदारी में अलावा खरीदसुंदा 10/238 भाग के शेष रकबा से वादी का नाम हटाया जाकर वादी के स्थान प्रतिवादी किशोरसिंह की खातेदारी घोषित की जावे।खेत खसरा नम्बर 630 रकबा 31 बीघा वाकै तोषिणा में से सज्जनसिंह की जो 15 बीधा 05 बिस्वा की खातेदारी अकित रही वह हरीसिंह के नाम घोषित की जावें।इस खसरा की वादी की हरीसिंह से जो 05 बीघा भूमि जरिये बैचाण खरीदी की खातेदारी वादी के नाम अकित है वह यथावत रखी जावे व तदनुसार रेकार्ड में खातेदारी अमल दरामद कराई जावे।

उक्त खेतो का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 तथा दीगर प्रतिवादीगण के बीच माफिक दावा के विधिवत बन्टवारा बाई मीटस एण्ड बाउन्डस के किया जाकर रेकार्ड में बन्टवारा के मुताबिक अलग-अलग बन्ट में आई हुई कब्जा काश्त की भूमि की खातेदारी अलग-अलग दरामद कराई जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 29.04.2010 को प्रतिवादीगण संख्या 02 की और से वकील श्रीअजीतसिंह राठौड ने वकालातनामा पेश कियां।व प्रतिवादी संख्या 01 04 ता 07 व 09 ता 13 अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 04 ता 07 व 09 ता 13 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1, ने दिनांक 09.06.2017 को कोर्ट केम्प ग्रम पंचायत तोषिणा में हाजिर होकर पहले राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमत हैं।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

बहस मजमे आम व मौतबीरान कोर्ट केम्प ग्रम पंचायत तोषिणा में सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

<u>आदेश</u>

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, कि खेत ख.न. 91/224 रकबा 42 ब़ीघा 07 बिस्वा, खेत ख.न. 101 रकबा 07 बिस्वा, खेत ख.न. 310/140 रकबा 18 बिस्वा, खेत ख.न. 147 रकबा 11 ब़ीघा 18 बिस्वा, खेत ख.न. 61/196 रकबा 01 ब़ीघा 12 बिस्वा, खेत ख.न. 270/61 रकबा 07 ब़ीघा 04 बिस्वा, वाकै शरहद गॉवडी व खेत खसरा नम्बर 630 रकबा 31 बीघा वाकै शरहद तोषिणा व ख. न. 159 रकबा 35 बीघा 14 बिस्वा गावडी के राजीनामा के अनुसार खातेदारी की घाषित की जाती है।व खेत ख.न. 91/224 रकबा 42 ब़ीघा 07 बिस्वा, खेत ख.न. 101 रकबा 07 बिस्वा, खेत ख.न. 310/140 रकबा 18 बिस्वा, खेत ख.न. 147 रकबा 11 ब़ीघा 18 बिस्वा, खेत ख.न. 61/196 रकबा 01 ब़ीघा 12 बिस्वा, खेत ख.न. 270/61 रकबा 07 ब़ीघा 04 बिस्वा, वाकै शरहद गॉवडी व खेत खसरा नम्बर 630 रकबा 31 बीघा वाकै शरहद तोषिणा व ख. न. 159 रकबा 35 बीघा 14 बिस्वा गावडी का बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से राजीनामा के अनुसार कर वादी का वाद जरिये राजीनामा डिक्री किया जाता है। राजीनामा, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना
सहायक (कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **09.06.2017** को सरे आम कोर्ट केम्प ग्रम पंचायत तोषिणा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **15 /2010** दायर दिनांक **26.03.2010**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1 किशोरसिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी गॉवडी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	**बनाम्**	1. समदरसिंह दत्तक पुत्र प्रेमसिंह 2. हरिसिंह पुत्र लादूसिंह 3. अवतारसिंह पुत्र रामसिंह 4. सुप्यारकंवर पत्नि भंवरसिंह 5. नारायणसिंह पुत्र कालूसिंह 6. दिलीपसिंह पुत्र कालूसिंह 7. श्रवणसिंह पुत्र कालूसिंह 8. भंवरकॅवर पत्नि कालूसिंह फौत 9. भंवरकॅवर पत्नि सोहनसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी गॉवडी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 10. मूलीदेवी पत्नि बालाराम 11. प्रेमलता पुत्री बालाराम 12. प्रदीप पुत्र बालाराम (ना. बा.)जरिये संरक्षिका मुलीदेवी समस्त जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 13. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा व बन्टवाडा खेत हस्ब धारा 88, 188 53,राज काश्त अधि

दिनांक 09.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री वादी व श्री, प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, कि खेत ख.न. 91/224 रकबा 42 ब़ीघा 07 बिस्वा, खेत ख.न. 101 रकबा 07 बिस्वा, खेत ख.न. 310/140 रकबा 18 बिस्वा, खेत ख.न. 147 रकबा 11 ब़ीघा 18 बिस्वा, खेत ख.न. 61/196 रकबा 01 ब़ीघा 12 बिस्वा, खेत ख.न. 270/61 रकबा 07 ब़ीघा 04 बिस्वा, वाकै शरहद गॉवडी व खेत खसरा नम्बर 630 रकबा 31 बीघा वाकै शरहद तोषिणा व ख. न. 159 रकबा 35 बीघा 14 बिस्वा गावडी के राजीनामा के अनुसार खातेदारी की घाषित की जाती है।व खेत ख.न. 91/224 रकबा 42 ब़ीघा 07 बिस्वा, खेत ख.न. 101 रकबा 07 बिस्वा, खेत ख.न. 310/140 रकबा 18 बिस्वा, खेत ख.न. 147 रकबा 11 ब़ीघा 18 बिस्वा, खेत ख.न. 61/196 रकबा 01

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

बीघा 12 बिस्वा, खेत ख.न. 270/61 रकबा 07 बीघा 04 बिस्वा, वाकै शरहद गॉवडी व खेत खसरा नम्बर 630 रकबा 31 बीघा वाकै शरहद तोषिणा व ख. न. 159 रकबा 35 बीघा 14 बिस्वा गावडी का बन्टवारा वाई मिटस एण्ड बाउन्डस से राजीनामा के अनुसार कर वादी का वाद जरिये राजीनामा डिक्री किया जाता है। राजीनामा, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत.................. ..–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **09.06.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	ुपया	से	मुदायलह	ुपया	पैसे
म्प अर्जीदावा म्प वकालतनामा म्प वजह सबूत नताना वकील र्चा गवाहान स कमिश्नर ाृत इजराय मनामा फर्रिक			म्प वकालतनामा म्प अर्जी नताना वकील र्चा गवाहान स कमिश्नर ाृत इजराय हुक्मनामा फर्रिक		
जान			जान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner